

तपस कुमार पालित
विरुद्ध
छत्तीसगढ़ राज्य
(दाण्डिक अपील क्रमांक 738/2025)
14 फ़रवरी 2025
[जे.बी. पारदीवाला एवं आर. महादेवन, न्यायाधिपतिगण]

विचारार्थ विवाद्यक

अपीलार्थी 5 वर्षों से न्यायिक अभिरक्षा में है, विचारण के समापन में लगने वाले संभावित समय के विषय में कोई निश्चितता नहीं है। क्या अपीलार्थी ज़मानत का हकदार है।

शीर्ष टिप्पण

जमानत-अधिकार-विचारण में विलम्ब-भारत का संविधान-अनुच्छेद 21-त्वरित विचारण का अधिकार-विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम, 1967-छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005-दण्ड संहिता, 1860-अपीलार्थी के विरुद्ध उपरोक्त अधिनियमों के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट-विचारण जारी-100 साक्षियों में से 42 साक्षियों का परीक्षण- उच्च न्यायालय द्वारा जमानत से इंकार करना- चुनौती दिया:

अभिनिर्धारित: अपराध चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, अभियुक्त को संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित त्वरित विचारण का मूल अधिकार है-अपीलार्थी मार्च, 2020 से एक विचाराधीन बंदी के रूप में अभिरक्षा में है- उसका कोई अन्य पूर्ववृत्त नहीं है- बरामदगी पंचनामा के पंच साक्षी भी पक्षद्रोही हो गए हैं-100 साक्षियों में से, केवल 42 साक्षियों का परीक्षण कराया गया है-मौखिक साक्ष्य दर्ज को पूर्ण करने में लगने वाले संभावित समय के संदर्भ में कोई निश्चितता नहीं है-यदि किसी अभियुक्त को विचाराधीन बंदी के रूप में छह से सात वर्ष कारावास में व्यतीत करने के उपरांत अंतिम निर्णय प्राप्त होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन त्वरित विचारण के उसके अधिकार का हनन हुआ है-आक्षेपित आदेश अपास्त- अपीलार्थी को जमानत प्रदान किया।[पैरा 6, 7, 8, 10, 14, 16]

साक्षियों का परीक्षण-साक्षियों की वृहद संख्या-किसी एक विशेष तथ्य को स्थापित करने हेतु सभी का परीक्षण कराना आवश्यक नहीं है-लोक अभियोजक को विवेकाधिकार का प्रयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए:

अभिनिर्धारित: जहाँ साक्षी वृहद संख्या में हो, वहाँ सभी को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है-इसके फलस्वरूप विचारण के समापन में अनिश्चितकालीन विलंब होता है-लोक अभियोजक को साक्षियों का परीक्षण कराने के संबंध में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए-विशेष न्यायाधीश (एनआईए) की भूमिका, विश्लेषण किया गया। [पैरा 13, 14]

लम्बा विचारण- अभियुक्त पर प्रभाव- विश्लेषण किया गया। [पैरा 14]

उद्धृत निर्णय विधि

मलक खान विरुद्ध एम्परर एआईआर 1946 प्रिवी काउंसिल 16- का संदर्भ

अधिनियमों की सूची

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम, 1967; छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005; दण्ड संहिता, 1860; दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

मुख्य शब्दों की सूची

भारत का संविधान के अनुच्छेद 21; त्वरित विचारण का अधिकार; विचारण में विलम्ब; विचारण जारी; अपराध की गंभीरता; पूर्ववृत्त नहीं; पंच साक्षियों का पक्षद्रोही होना; विचारण के समापन में अनिश्चितकालीन विलंब; विचाराधीन बंदी; साक्षियों का परीक्षण; साक्षियों की वृहद संख्या; लोक अभियोजक; विशेष न्यायाधीश (एनआईए)

प्रकरण प्रोद्भूत

दाण्डिक अपीलिय अधिकारिता: दाण्डिक अपील क्रमांक 738/2025
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के दाण्डिक अपील क्रमांक 1951/2023 में दिनांक 16.02.2024 को पारित निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण :
समीर श्रीवास्तव, सुश्री याशिका वाष्णेय, सुश्री पलक माथुर, डॉ संगीता वर्मा

प्रत्यर्पण की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण :

अभिषेक पाण्डेय, प्रशांत कुमार उमराव

उच्चतम न्यायालय का आदेश/निर्णय

आदेश

1. अनुमति दी जाती है।
2. यह अपील छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दाण्डिक अपील क्रमांक 1951/2023 में दिनांक 16.02.2024 को पारित निर्णय एवं आदेश से प्रोद्भूत है, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी (मुख्य अभियुक्त) द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील को खारिज कर दिया और इस प्रकार उसे सत्र विचारण क्रमांक 32/2020, जो 24 मार्च, 2020 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 9/2020 से प्रोद्भूत था, यह अपराध विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम, 1967 (संक्षिप्त में "यूएपीए") की धारा 10, 13, 17, 38(1)(2), 40, 22-क तथा 22-ग, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 8(2), (3) व (5) तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 120 ख, 201 व 149 सहपठित धारा 34 के अधीन दण्डनीय अपराध है के संबंध में जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया।
3. अभियोजन का प्रकरण यह है कि अपीलार्थी 24 मार्च, 2020 को पंजीयन क्रमांक CG-07/AH- 6555 वाहन में यात्रा कर रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि उपरोक्त क्रमांक वाला वाहन वहाँ से गुजरने वाला है और उसमें नक्सली गतिविधियों से संबंधित सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली वस्तुएँ हैं। तदनुसार, वाहन को रोक लिया गया।
4. तलाशी ली गई और अपीलार्थी के सचेतन कब्जे में कथित कार से निम्नानुसार वस्तुएं बरामद की गईं:-
 - (i) 95 जोड़ी जूते
 - (ii) हरा काला प्रिंटेड कपड़ा
 - (iii) 100 मीटर लंबे बिजली के तार के दो बंडल
 - (iv) एलईडी लेंस तथा
 - (v) वॉकी-टॉकी व अन्य वस्तुएँ।

5. अपीलार्थी को उसी तारीख अर्थात् 24 मार्च, 2020 को गिरफ्तार किया गया। अन्वेषण के समापन उपरांत अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया।

6. विचारण के लंबित रहने के दौरान, अब तक अभियोजन 42 साक्षियों का परीक्षण कराने में समर्थ रहा है। अभियोजन 100 साक्षियों का परीक्षण कराने का आशय रखता है। हम अपने द्वारा पारित आदेश के प्रति सचेत हैं, जिसमें यह विचार व्यक्त किया गया है कि एक बार विचारण प्रारंभ हो गया हो एवं साक्षियों का परीक्षण कराया जा रहा हो, हत्या, डकैती, बलात्संग जैसे गंभीर अपराधों में, न्यायालय को सामान्यतः जमानत प्रदान करने के प्रयोजन हेतु, विशेषतः अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए, अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

7. यद्यपि, यह एक ऐसा प्रकरण है जिसमें अपीलार्थी 24 मार्च, 2020 से एक विचाराधीन बंदी के रूप में अभिरक्षा में है। उसका कोई अन्य पूर्ववृत्त नहीं है। बरामदगी पंचनामा के पंच साक्षी भी पक्षद्रोही हो गए हैं।

8. अब पाँच वर्ष हो गए हैं जब से वह न्यायिक अभिरक्षा में है। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को मौखिक साक्ष्य दर्ज को पूर्ण करने में लगने वाले संभावित समय के संदर्भ में कोई अंदाज़ा नहीं है।

9. ऐसी परिस्थितियों में, हमारे पास अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं है। हम कथित अपराध की गंभीरता को कम नहीं आंकते हैं।

10. यद्यपि, हमने अनेक बार यह स्पष्ट किया है कि अपराध चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, अभियुक्त को संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित त्वरित विचारण का मूल अधिकार है।

11. इस प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व, हम यह जानना चाहेंगे कि लोक अभियोजक 100 साक्षियों का परीक्षण क्यों कराना चाहते हैं। ये 100 साक्षी कौन हैं? हमें विदित है कि लोक अभियोजक ही है जिन्हें विचारण प्रभारी कहा जा सकता है और उसे ही यह निर्णय लेना होता है कि किसका परीक्षण कराया जाए और किसे हटाया जाए। परंतु साथ ही, यदि किसी एक विशेष तथ्य को स्थापित करने हेतु 10 साक्षियों का परीक्षण कराने से किसी उपयोगी प्रयोजन की पूर्ति नहीं होगी।

12. उपरोक्त के फलस्वरूप विचारण के समापन में अनिश्चितकालीन विलंब होता है। लोक अभियोजक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षियों का परीक्षण कराने के संबंध में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग बुद्धिमानी से करे।

13. जहाँ साक्षी वृहद संख्या में हो, वहाँ, हमारे अभिमत में, सभी को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। इस संबंध में, हम मलक खान विरुद्ध एम्परर [एआईआर 1946 प्रिवी काउंसिल 16] का संदर्भ ले सकते हैं जहाँ माननीय न्यायाधिपतिगण ने पृष्ठ 19 पर निम्नानुसार अवधारित किया:—

“इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अति महत्वपूर्ण है कि, एक सामान्य नियम के रूप में, सभी क्राउन साक्षियों को अभियोजन की सुनवाई में परीक्षण कराने हेतु आहूत किया जाना चाहिए किंतु यह महत्वपूर्ण है, अभियोजन के अधिवक्ता को उन समस्त साक्षियों जो उन तथ्यों के बारे में व्यक्त करते हैं जिन्हें क्राउन साबित करना चाहती है को आहूत करने के लिए बाध्य करने की कोई विवशता नहीं है। अंततः यह अभियोजन के अधिवक्ता के विवेकाधिकार का प्रकरण है और यद्यपि न्यायालय को, एवं निस्संदेह, उन साक्षियों की अनुपस्थिति को विचार में रखना चाहिए जिनका अभिसाक्ष्य अपेक्षित होगा, उसे साक्ष्य का समग्र रूप से मूल्यांकन करना चाहिए एवं तदनुसार अपने निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए और संभावित साक्षियों की अनुपस्थिति पर की जा सकने वाली आलोचना के आलोक में दिए गए अभिसाक्ष्य की विश्वसनीयता को विचार में रखना चाहिए।”

14. इस संबंध में, विशेष न्यायाधीश (एनआईए) की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। विशेष न्यायाधीश को विशेष लोक अभियोजक से पूछना चाहिए कि वह किसी विशेष साक्षी का परीक्षण क्यों कराना चाहता है, जब वह साक्षी वही साक्ष्य देने वाला है जो किसी अन्य साक्षी ने पूर्व ही दे दिया है। हम कुछ दिशानिर्देशित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु अब समय आ गया है कि इस विलम्ब और जमानत के विवाद्यक पर उसके सत्य और उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए। यदि किसी अभियुक्त को विचाराधीन बंदी के रूप में छह से सात वर्ष कारावास में व्यतीत करने के उपरांत अंतिम निर्णय प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन त्वरित विचारण के उसके अधिकार का हनन हुआ है। अभियुक्तों पर लम्बे विचारण का दबाव— जो दोषी साबित होने तक निर्दोष रहते हैं—भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अभियुक्तों को विचारण—पूर्व कारावास की अवधि के लिए कोई आर्थिक क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं होता। हो सकता है कि उन्होंने रोजगार या आवास भी खो दिया हो, कारावास के दौरान उनके व्यक्तिगत संबंधों को नुकसान पहुँचा हो, एवं विधिक शुल्क पर काफी मात्रा में धन व्यय किया हो। यदि किसी अभियुक्त को दोषी

नहीं पाया जाता है, तो उसे संभवतः कई माह तक अपने समाज में कलंकित और संभवतः बहिष्कृत भी रहना पड़े तथा उन्हें स्वयं के संसाधनों से अपने जीवन का पुर्ननिर्माण करना होगा।

15. हम कहेंगे कि विलम्ब अभियुक्तों के लिए और पीड़ितों के लिए, भारतीय समाज के लिए तथा हमारी न्याय प्रणाली जिसका हम सम्मान करते हैं की विश्वसनीयता के लिए अत्यंत बुरा है। न्यायाधीश अपने न्यायालयों के स्वामी होते हैं और दण्ड प्रक्रिया संहिता न्यायाधीशों को कई उपकरण प्रदान करती है, जिनका उपयोग वे यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि प्रकरण प्रभावी रूप से आगे बढ़ें।

16. फलस्वरूप, यह अपील सफल होती है और एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को यथाशीघ्र जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है, बशर्ते कि वह विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों और नियमों के अधीन हो।

17. यद्यपि, हम निर्देशित करते हैं कि अपीलार्थी छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। वह सुनवाई की प्रत्येक तिथि को विचारण न्यायालय के समक्ष ऑनलाइन उपस्थित होगा। केवल अंत में, जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसका आगामी कथन दर्ज किया जाना हो, वह व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। इस सीमित प्रयोजनार्थ, वह कांकेर जिले में प्रवेश करेगा।

18. हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि अपीलार्थी हमारे द्वारा अधिरोपित शर्त का किसी भी रूप में उल्लंघन करता है, तो जमानत स्वमेव रद्द हो जाएगा।

19. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निराकृत हो जाएंगे।

प्रकरण का परिणाम: अपील स्वीकृत।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।